

मध्यप्रदेश शासन
आयुष विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल
-आदेश-

भोपाल, दिनांक 6/12/2017

क्रमांक एफ 2-2/2017/1/59 : राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में दर्शाये गये स्थान पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है:-

क्र.	आयुर्वेद चिकित्सक का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1	2	3	4
1	डॉ. बद्रीप्रसाद साकेत	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औषधालय बराछ, शहडोल	शासकीय आयुर्वेद औषधालय मऊ जिला शहडोल
2	डॉ. ओ. एन. त्रिपाठी	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औषधालय केशवाही, शहडोल	शासकीय आयुर्वेद चिकित्सालय शहडोल
3	डॉ. देवेन्द्र कुमार मिश्रा	शासकीय आयुर्वेद औषधालय झरखेडा, सीहोर	शासकीय आयुर्वेद औषधालय बम्होरी बराना जिला टीकमगढ़

2/ उपर्युक्त नवीन पदस्थापना पर संबंधित चिकित्सकों को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस की अवधि में कार्यभार ग्रहण करना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(पी. आर. कतरोलिया)

उप सचिव

म. प्र. शासन आयुष विभाग


भोपाल दिनांक 6/12/2017

पृ. क्रमांक/एफ 2-2/2017/1/59

प्रतिलिपि-सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. निज सचिव, मान.मंत्रीजी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आयुष विभाग।
2. आयुक्त, आयुष संचालनालय म.प्र. भोपाल।
3. स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव म.प्र. शासन आयुष विभाग मंत्रालय भोपाल।
4. संबंधित संभागीय आयुष अधिकारी.....म. प्र.

5. संबंधित जिला आयुष अधिकारी.....म.प्र. की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश के पालन में संबंधित आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करें। आदेश जारी होने के दिनांक से संबंधित चिकित्सक के किसी भी प्रकार के अवकाश संचालनालय की पूर्व अनुमति बिना स्वीकृत नहीं किये जाएंगे।
6. संबंधित चिकित्सक डॉ.....म.प्र.।


०६/०५/१७

उप सचिव
म. प्र. शासन आयुष विभाग